न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–100/2017/टोंक (2017/00118)

1. रामचन्द्र भारती पुत्र भूरा गिरी, जाति गुसाई, निवासी पन्द्राहेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. रामनारायण पुत्र छीतर,
2. रामकिशन पुत्र छीतर,
3. राम करण पुत्र छीतर,
4. फूला बेवा छीतर,
5. बदाम पुत्री छीतर,
6. प्रेम पुत्री छीतर,
7. गीता पुत्री छीतर,
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी पन्द्राहेड़ा, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिह, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक दिनांक 22.11.2013 प्रकरण संख्या 34/2013.

उपस्थितः–

1. श्री रोहित सोनी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह में स्थित खसरा नंबर 1572/2334 व खसरा नंबर 94/2461, खसरा नंबर 96/2462 को भू-प्रबंध के दौरान तत्कालीन भू-मापक महादेव प्रसाद शर्मा द्वारा काल्पनिक मिलान क्षैलफल बनाकर चारागाह भूमि को गैर खातेदारान के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जिसको वापस चारागाह दर्ज किया जाना न्यायोचित है । उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 22.11.2013 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजियात वाके ग्राम पन्द्राहेड़ा को अपीलांट की खातेदारी से हटाया जाकर चारागाह खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने दिनांक 11.2.2014 को निर्णय पारित कर अपने क्षैत्राधिकार में नहीं होने के कारण अपील खारिज कर दी । इसलिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वर्तमान अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान पारित किये गये आदेश व आराजी से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिससे यह स्पष्ट था कि वर्तमान अपीलांट के पिता को साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी विधिवत् रूप से प्रदान की गई थी परन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी की है जबकि नामांतकरण की कार्यवाही के माध्यम से अपीलांट्स के खातेदारी हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी को जिला कलक्टर, टोंक मिसल नंबर 677/1967 में निर्णय दिनांक 3.2.1971 को पारित कर विवादित भूमि को चारागाह से सिवायचक में परिवर्तन किये जाने के आदेश पारित किये गये थे तत्पश्चात् तहसीलदार, टोडारायसिंह ने नामांतकरण संख्या 478 दिनांक 16.8.1972 से उक्त आराजी को सिवायचक राजस्व रिकार्ड में अंकित किया था । विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के पिता का विवादित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त होने से साबिक आराजियात अपीलांट के पिता के हक में नियमन की गई थी । इसी आदेश की पालना में सेट्लमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जारी करते समय

हाल खसरा नंबर हाल खसरा नंबर 94/2461 एवं 96/2462 खातेदारी का अंकन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जारी किया गया था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय दिनांक 3.2.1971 के विरूद्ध जब तक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय एवं उक्त निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया नामांतकरण संख्या 478 दिनांक 16.8.1972 को निरस्त नहीं करा दिया जाता तब तक अपीलांट्स के पिता के पक्ष में किया गया आराजी का आवंटन किसी भी रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को नजर अदांज भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपनी जांच में अंकित किया है कि हाल खसरा नंबर 94/2461 एवं 96/2462 गत खसरा नंबर 66 से बनना अंकित किये जाने के बावजूद उक्त खसरा नंबरान को काल्पनिक रूप से साबिक खसरा नंबर 31, 32, 96 से बनना दर्शाया गया है । अधी0न्याया0 ने भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलांट के खातेदारी अधिकारों को धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधि0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.11.2013 को खसरा नंबर 94/2461 एवं 96/2462 की हद तक निरस्त किया जावे ।
xx

4- अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 22.11.2013 के विरूद्ध अपीलांट ने अंदर मियाद अपील भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.2.2014 द्वारा अपील क्षैत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज कर दी । तत्पश्चात् अपीलांट्स ने कानूनी सलाह प्राप्त कर न्यायालय हाजा के समक्ष जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में विलंब कानूनी अज्ञानता के कारण हुआ है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक होने से न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय में खसरा नंबर 31 व 31/32 चारागाह होने का उल्लेख किया है तथा साबिक खसरा नंबर 94/2461 व 96/2462 साबिक खसरा नंबर 31 व 31/3 मिन से बनना अंकित किया है । इस संबंध में भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें भू-प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपनी

जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि भू–मापक द्वारा मिलान क्षैत्रफल में काल्पनिक रूप से हाल खसरा नंबर 94/2461 व 96/2462 को साबिक खसरा नंबर 31, 32 व 96 से बनना अंकित किया है जबकि हाल खसरा नंबर 94/2461 व 96/2462 गत खसरा नंबर 66 से बनना बताया है। भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नंबर 94/2461 व 96/2462 गत खसरा नंबर 31, 32 व 96 से न बनकर गत खसरा नंबर 66 से बना है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 94/2461 के साबिक खसरा नंबर 31 म0 व 31/4 एवं हाल खसरा नंबर 96/2462 के साबिक खसरा नंबर 31 मि0 व 31/4 बने है । उक्त खसरा नंबरान जिलाधीश, टोंक के न्यायालय में विचाराधीन मिसल संख्या 677/1967 में पारित निर्णय दिनांक 3.2.1971 द्वारा चारागाह से सिवायचक दर्ज किये गये थे तथा जिलाधीश, टोंक के निर्णय की पालना में ही तहसीलदार द्वारा नामांतकरण संख्या 478 दिनांक 16.8.1972 को भरा गया है । अपीलांट का कथन रहा है कि दौराने सैटलमेंट दिनांक 29.8.2002 को सहायक जिलाधीश (लैण्ड सीलिंग) टोंक द्वारा विवादित साबिक आराजियात को अपीलांट के पिता के हक में नियमन किया गया था तथा इस आदेश के अनुसरण में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जारी किया जिसमें हाल खसरा नंबर 94/2461 व 96/2462 का गैर खातेदार का अंकन दर्ज करते हुए रिकार्ड जारी किया गया है ।

7- प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकार धारा 136 के प्रकरण के तहत समाप्त किये जा सकते है, तथा द्वितीय यह है कि क्या जिला कलक्टर, टोंक द्वारा मिसल संख्या 677/67 में पारित निर्णय दिनांक 3.2.1971 को चुनौती दिये बिना विवादित भूमि को धारा 136 के प्रकरण के तहत पुनः सिवायचक से चारागाह दर्ज किया जा सकता है । प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर यह स्पष्ट है कि वक्त आवंटन/नियमन विवादित भूमि जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 3.2. 1971 से सिवायचक होकर आवंटन/नियमन पश्चात् अपीलांट/प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जिसे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है एवं जिला कलक्टर के आदेश की पालना के क्रम में हुए आवंटन/नियमन एवं नियमन पश्चात् दर्ज नामांतकरण को यदि रेस्पो0 संख्या 8 विधिविरूद्ध मानते है तो जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 3.2.1971 एवं इस आदेश की पालना में दर्ज नामांतकरण संख्या 478 दिनांक 16.8.1972 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर केवल भू–प्रबंध आयुक्त के आदेश दिनांक 16.12.2005 के आधार पर विवादित भूमि को चारागाह मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.11.2013 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 100/2017 (2017/00118) बउनवानी रामचन्द्र भारती बनाम रामनारायण व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा प्रकरण संख्या 34/2013 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 को खसरा नंबर 94/2461 एवं 96/2462 की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.1971, सहायक कलक्टर, टोंक द्वारा अपीलांट को किये गये आवंटन/नियमन आदेश, उक्त आदेशों की पालना में संस्थित नामांतकरण, भू-प्रबंध आयुक्त के आदेश दिनांक 16.12.2005 में सम्मिलित जांच रिपोर्ट, भू-प्रबंध से पूर्व एवं पश्चात् का राजस्व आधार अभिलेख यथा जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, राजस्व नक्शा इत्यादि एवं अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादित आराजियात बाबत् तहसीलदार, टोडारायसिंह से मौका व अभिलेख आधारित रिपोर्ट मंगवाई जाकर उपलब्ध समस्त आधार अभिलेखों का अवलोकन/परीक्षण करे एवं उभय पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत पुनः विधिसम्मत् कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर